

धारा-57. निधियों का विभाजन नहीं होगा.- इस अधिनियम में विशेष रूप से की गई अन्य व्यवस्था के अधीन रहते हुए शुद्ध लाभ के अतिरिक्त सहकारी समिति की निधियों के किसी भाग का, सदस्यों से बोनस या लाभांश के रूप में या अन्यथा विवरण नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य की उसकी ऐसी सेवाओं के लिए जो उसने सहकारी समिति के लिये की हो उपविधियों में दिये गये मान के अनुसार पारिश्रमिक दिया जा सकता है।